प्रेषक,

सचिव
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

चीफ ट्रस्टी,
नीलकण्ठ एजूकेशनल फाउण्डेशन,
एच०एन०-38, उमरपुर, हरिबंधनपुर,
मछलीशहर रोड, जौनपुर।

पत्रांक-प्रा0शि0प/परिषद/2019/838      लखनऊ:दिनांक- 18 2.19

विषय- संस्थान को सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु सहमति पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक NEF/NOC/2/2018 दिनांक 28-09-2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उपरोक्त के क्रम में अवगत कराया जाना है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल सिविल अपील संख्या 9406/2012 में पारित आदेश दिनांक 13-12-2012 के अनुपालन में किसी शैक्षिक सत्र हेतु प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा सम्बद्धता प्रदान करने अथवा न करने की अंतिम तिथि उस वर्ष की माह मई की 15 तारीख है। प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को सम्बद्धता प्रदान करता है, एवं इस हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से प्रस्तावित संस्थान एवं पाठ्यक्रम के अनुमोदनोपरांत ही संस्थान की सम्बद्धता पर परिषद विचार करता है। इस संबंध में कतिपय औपचारिकताएं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अनुमोदन पत्र निर्गत होने के पूर्व परिषद द्वारा पूर्ण कर ली जाती हैं। ऐसा इसलिए आवश्यक होता है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय-सारणी के अनुसार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को अनुमोदन प्रदान करने हेतु अंतिम तिथि उस वर्ष की 30 अप्रैल निर्धारित की गयी है।

संस्था को सहमति पत्र इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि संस्था द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त अनुमोदन पत्र दिनांक 30 अप्रैल 2019 तक प्रत्येक दशा में परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा। उपरोक्त अवधि तक यदि संस्था द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली एवं पी0सी0आई0, नई दिल्ली द्वारा सत्र 2019-20 हेतु प्रदत्त अनुमोदन पत्र परिषद कार्यालय में प्राप्त नहीं कराया गया तो ऐसी स्थिति में संस्था को परिषद से सम्बद्धता प्रदान करने पर विचार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार निर्गत सहमति पत्र प्रतिबंधात्मक है, और उपरोक्तानुसार वर्णित शर्तों को पूर्ण किये जाने पर ही मान्य होगा।

भवदीय

(राजीव कुमार सिंह)
सचिव

Principal
Neelkanth College of Pharmacy Education

कार्यालय,
## सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या– प्रावि0/परिषद सम्बद्धता/2020/1871 लखनऊ दिनांक 15–9–2020

**–कार्यालय ज्ञाप–**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया [illegible] द्वारा शैक्षिक सत्र 2020–21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14–8–2020 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक [illegible] सत्र 2020–21 हेतु [illegible] नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से सम्बद्ध [illegible] पाठ्यक्रम, [illegible] सत्र 2020–21 हेतु [illegible] का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद–3 में डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम [illegible] वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार–विमर्श कर निम्न निर्णय लिया गया –

"निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020–21 हेतु पी0सी0आई0 द्वारा उन्हें यथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पी0सी0आई0 द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020–21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार–विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पी0सी0आई0 द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020–21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14–08–2020 को आहूत सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2020–21 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन [illegible] एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है –

| क्र0 सं0 | संस्था कोड | संस्था का नाम | पाठ्यक्रम का नाम | पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2020–21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता | पी0सी0आई0/परिषद द्वारा सत्र 2020–21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | 4077 | [illegible] कॉलेज ऑफ फार्मेसी, [illegible] | डिप्लोमा इन फार्मेसी | 60 | [illegible] |

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था [illegible]/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद [illegible] नियमावली–[illegible] [illegible]

Principal
[illegible] of Pharmacy [illegible]

## कार्यालय,

## सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

## उत्तर प्रदेश लखनऊ।

**संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537** **लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021**

## :-कार्यालय ज्ञाप-:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमे अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

**संस्था का कोड एवं नाम : 4077-NEELKANTH COLLEGE OF PHARMACY EDUCATION,VILL REHATI,POST-TRILOCHAN,TEHSIL-KERAKAT,JAUNPUR-222136**

| क्र0सं0 | पाठ्यक्रम का नाम | ए0आई0सी0टी0ई0/ पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता | परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता |
|---|---|---|---|
| 1 | DIPLOMA IN PHARMACY | 60 | 60 |

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी0 पाठ्यक्रमों हेतु रू0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रू0-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निधारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (उ0प्र0 प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।

Principal
Neelkanth College of Pharmacy Education
Rehati, Trilochan, Jr